



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38280

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2552/2026

लारेंश संखवार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राज कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें अपर निदेशक, स्थापना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, तथापि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई, जिसके बाद एक दंडादेश पारित किया गया। यह दंडादेश रिट-ए संख्या 8057/2020 और रिट-ए संख्या 15645/2023 में चुनौती का विषय था; इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मामले को अधिकारियों के पास वापस भेज दिया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया ताकि वे नई कार्यवाही कर सकें। इसके बाद 14.09.2025 को याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया, यद्यपि जांच जारी रखने का निर्देश दिया गया था। लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने कानपुर देहात से किसी अन्य जिले में अपने स्थानांतरण के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

4. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम पांचवें प्रतिवादी, यानी अपर निदेशक, स्थापना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना आवश्यक है।
6. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
7. विरोधी पक्षों के निवेदनों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, पांचवें प्रतिवादी के समक्ष, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है। पांचवें प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वे 13.03.2026 तक उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, पूर्णतः कानून के अनुरूप याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करें। यदि पांचवें प्रतिवादी की यह राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”